राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 22, गुरुवार, शाके 1932–अक्टूबर 14, 2010
Asvina 22, Thursday, Saka 1932–October 14, 2010

सत्यमेव जयते

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान (ग्रुप–2) विभाग

संशोधित अधिसूचनायें

जयपुर, अक्टूबर 14, 2010

संख्या प.4(184)खान/ग्रुप–2/85:–इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.4(184)खान/ग्रुप–2/85 दिनांक 02–07–2010 जो राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में दिनांक 05–07–2010 को प्रकाशित हुई थी के द्वारा निकट ग्राम भेर–ढिंगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर क्षेत्र को दिनांक 10 अगस्त, 2010 से रिक्त घोषित किया गया था एवं वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2010 से 09 सितम्बर, 2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे । उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2010 जो कि राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में दिनांक 06–08–2010 को प्रकाशित हुई है, के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र दिनांक 10 अगस्त, 2010 के स्थान पर दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से रिक्त घोषित किया गया तथा प्रश्नगत क्षेत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2010 से 09 सितम्बर, 2010 के स्थान पर 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 तक आमंत्रित किये गये व अन्य सभी शर्तें यथावत रखी गई।

उक्त संशोधित अधिसूचना दिनांक 06–08–2010 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :–

उपरोक्त प्रश्नगत क्षेत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के स्थान पर दिनांक 10 जनवरी 2011 से रिक्त घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त प्रश्नगत क्षेत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 के स्थान पर 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक प्राप्त किये जायेंगे अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

जयपुर, अक्टूबर 14, 2010

संख्या प.5(209)खान/ग्रुप–2/06:–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की अधिसूचना संख्या प.5(209)खान/ग्रुप–2/06 दिनांक 01–07–2010, जो कि असाधारण राजस्थान राज–पत्र दिनांक 01–07–2010 में प्रकाशित हुई है, के द्वारा क्षेत्र निकट ग्राम धनोरा, कारून्दा, पायरी, मालियाखेडी आदि तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में 16.306 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को अनारक्षित करते हुए चिन्हित ब्लाक 8.675 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 06–08–2010 के द्वारा क्षेत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से रिक्त घोषित करते हुए खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 की अवधि में आमंत्रित किये गये ।

उपरोक्त प्रश्नगत क्षेत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के स्थान पर दिनांक 10 जनवरी, 2011 से रिक्त घोषित किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 के स्थान पर 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक प्राप्त किये जायेंगे।

रिक्त घोषित किये जाने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (16,306 वर्ग कि.मी.) में से वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु ब्लाक का क्षेत्र "8.675 वर्ग कि.मी." के स्थान पर "7.91435 वर्ग कि.मी. (पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं क्वारी लाइसेंस के क्षेत्रों को छोड़कर)" एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है ।

सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु अनारक्षित किये जाने वाले चिन्हित ब्लाक (7.91435 वर्ग कि.मी.) का विवरण निम्नानुसार है :-

वृहत सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु चिन्हित ब्लाक की विवरण सूची

(स्थायी बिन्दु मन्दिर नि.ग्रा. मालियाखेडी टोपोशीट नं. 46 एल/10)

से	तक	बियरिंग	दूरी (मीटर में)
स्थायी बिन्दु मंदिर	A	135°00'	1350.00
A	A'	270°00'	217.3573
A'	B'	360°00'	1470.8129
B'	C'	90°00'	217.3573
C'	D'	360°00'	157.1929
D'	E'	270°00'	102.3550
E'	F'	360°00'	1865.9779
F'	G'	270°00'	737.8625
G'	H'	360°00'	2006.0163
H'	I	270°00'	1009.7825
I	J	180°00'	5500.000
J	A'	90°00'	1632.6427
कुल क्षेत्रफल – 7.91435 वर्ग कि.मी.			

खनन पट्टा के आवेदन पत्र उक्त सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु अनारक्षित किये गये चिन्हित ब्लाक 7.91435 वर्ग कि.मी. की विवरण सूची अनुसार ही स्वीकार किये जायेंगे एवं अन्य सभी शर्तें आदि समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01–07–2010 के अनुसार यथावत रहेंगी ।

इस अधिसूचना द्वारा अनारक्षित क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा एवं अधीक्षण भू–वैज्ञानिक (ट्रायबल), उदयपुर तथा निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर में देखे जा सकते हैं।

आज्ञा से,

सी. एल. कापता

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।